क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
कानपुर नगर

संदर्भ 828/स्था-218/22 दिनांकः 05-09-22

सेवा में,

श्री प्रदीप मिश्रा,
बोर्ड अधिवक्ता,
बी–235, सेक्टर–19,
नोएडा

विषयः–ग्राम–कटरी सुनौढ़ा, तहसील–बिल्हौर, जनपद–कानपुर नगर के गाटा सं0–2मि0 रकवा 10.5 हे0 में बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के दृष्टिगत साधारण बालू खनन पट्टा धारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर (बालू खनन परियोजना) पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की सूचना मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच80639/विधि/ओ0ए0–171/ 22/2022, दिनांक 02.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त बालू खनन परियोजना के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में वाद योजित है, पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 02.04.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की गयी है। प्रकरण माननीय अधिकरण में विचाराधीन है। उक्त आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित बालू खनन परियोजना द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुपलान में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु बोर्ड से सहमति जल एवं वायु (CTO) प्राप्त न किये जाने के कारण साधारण बालू खनन पट्टा धारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर (बालू खनन परियोजना) के विरूद्ध कुल 1145 दिवसों के उल्लंघन के दृष्टिगत रू0 4,29,37,500.00 (रू0 चार करोड़ उन्तीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में अगली सुनवाई पर उक्त कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 में प्रस्तुत करना चाहेंगें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(इं0 अमित मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊं।
4. विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 Ref. No H80639/विधि/OA-171/22/2022

दिनाँक Date 02-9-22

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज
प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह
निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर,
कानपुर नगर।

विषय– **ग्राम–कटरी सुनौढ़ा, तहसील–बिल्हौर, जनपद–कानपुर नगर के गाटा सं0–2मि0 रकवा 10.5 हे0 में बिना पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये खनन कार्य किये जाने के दृष्टिगत् साधारण बालू खनन पट्टा धारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर (बालू खनन परियोजना) पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत हों कि ग्राम–कटरी सुनौढ़ा, तहसील–बिल्हौर, जनपद–कानपुर नगर के गाटा सं0–2मि0 रकवा 10.5 हे0 में साधारण बालू खनन पट्टा धारक मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह, निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर को State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh के पत्रांक 174/Parya/SEAC/4026/2017, दिनांक 12.02.2018 द्वारा 05 वर्ष की अवधि के लिये 2,10,000 घनमीटर/वर्ष बालू खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गयी है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर नगर के पत्रांक 225/तीस–उपखनिज/2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा खनन हेतु, अवधि दिनांक 07.04.2018 से 06.04.2023 तक के लिये स्वीकृत प्रदान की गयी थी। जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्रांक 443/तीस–उपखनिज/2021, दिनांक 03.02.2021 द्वारा उक्त खनन कार्य को प्रतिबन्धित कर दिया गया था, जिसे पुनः पत्राक 1067/तीस–उपखनिज/2021, दिंनाक 13.12.2021 द्वारा साधारण बालू खनन/परिवहन करने की अनुमति को पुनर्स्थापित (Restore) किया गया।

उक्त बालू खनन परियोजना के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 सं0 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में वाद योजित है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा दिनांक 02.04.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की गयी है। प्रकरण माननीय अधिकरण में विचाराधीन है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 26.08.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण निदेशालय के पत्रांक 174/Parya/SEAC/4026/2017, दिनांक 12.02.2018 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (E.C.), जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ निर्गत की गयी है। कार्यालय अभिलेखो के अनुसार उक्त खनन परियोजना स्वामी द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अनुपालन में खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व/खनन किये जाने हेतु बोर्ड से सहमति जल एवं वायु (CTO) प्राप्त नहीं की गयी है, जो उपरोक्त वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लघंन है।

संयुक्त निरीक्षण दिनांक 02.04.2022 एवं अभिलेखों के अनुसार परियोजना स्वामी द्वारा बालू खनन का कार्य दिनांक 07.04.2018 से दिनांक 03.02.2021 तक कुल 1034 दिवस तथा दिनांक 13.12.2021 से 02.04.2022 तक 111 दिवस अर्थात कुल 1145 दिवसों में पूर्व सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बंध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र Penalty=PIxNxRxSxLF के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 37500/– प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (pollution index)=80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs)=250, S (Factor for Scale of operation, Large)=1.5, LF (Location Factor)= 1.25 for population between 1 to 5 million. लिया गया है। अतः कुल उल्लंघन दिवस 1145 के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 37500 X 1145= 4,29,37,500.00 (रू0 चार करोड़ उन्तीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र) आंकलित होती है।

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 26.08.2022 द्वारा बालू खनन परियोजना मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर के विरूद्ध कुल 1145 दिवस हेतु धनराशि रू0 4,29,37,500.00 (रू0 चार करोड़ उन्तीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 26.08.2022 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त **मै0 वैष्णवी इन्टरप्राइजेज प्रो0 श्री नागेन्द्र सिंह निवासी 113 एम0आई0जी0–2, महाबलीपुरम, कल्यानपुर, कानपुर नगर पर रू0 4,29,37,500.00 (रू0 चार करोड़ उन्तीस लाख सैंतीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र)** की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में 30 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)